	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 05, सोमवार, *शाके* 1945-जून 26, 2023 *Asadha 05, Monday , Saka 1945- June 26, 2023*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 26, 2023

जी.एस.आर.143 :-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)/एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2022 दिनांक 17-03-2023 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 17, 2023

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों और उद्यमों के संसाधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और उपापन संस्थाओं के व्यक्तिश: बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए यह आवश्यक है, इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.1(8)/एफडी/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में, विद्यमान क्रम संख्यांक 57 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

57.	माल और सेवायें	राज्य सरकार के पास ब्रोंज या उच्चतर क्यूरेट स्कोर सहित रजिस्ट्रीकृत और अनुमोदित स्टार्टअप को निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार, बोली प्रक्रिया में प्रविष्ट हुए बिना सीधे कार्य आदेश दिये जा सकेंगे:- 1. क्यूरेटब्रोंज : प्रति स्टार्टअप एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम तीन कार्य आदेश 2. क्यूरेट सिल्वर : प्रति स्टार्टअप एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम चार कार्य आदेश 3. क्यूरेट गोल्ड : प्रति स्टार्टअप एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम पांच कार्य आदेश 4. क्यूरेट प्लैटिनम : प्रति स्टार्टअप एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम छह कार्य आदेश 5. क्यूरेट सिग्नेचर : प्रति स्टार्टअप एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम छह कार्य आदेश टिप्पण: महिलाओं, दिव्यांगजनों या उभयलिंगी या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संस्थापकों द्वारा चलाये जा रहे स्टार्टअप को एक वित्तीय वर्ष में एक अतिरिक्त आदेश दिया जा सकेगा(राजस्थान स्टार्टअप पालिसी 2022 के खण्ड 13 में उप-खण्ड (x) में परिभाषित मानदंडों के अनुसार पात्रता)	1. उपापन की विषय-वस्तु का अनुमानित मूल्य पच्चीस लाख रुपये (करों को सम्मिलित करते हुए) से अधिक नहीं होगा, और 2. स्टार्टअप से उपापन भारत सरकार या राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध करवाये गये केवल इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म (जैसे ई-बाजार राजस्थान, इत्यादि) के माध्यम से किया जायेगा।

"

[एफ.2(1)एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017]

राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,

संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.